भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या – 197**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

**सीएसआर नियमों का अनुपालन**

**197. श्री देरेक ओब्राईन :**

क्‍या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल पंजीकृत कंपनियों में से वर्ष 2010 से वर्ष-वार कुल कितनी कंपनियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नियमों का अऩुपालन किया है और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) भारत में वर्ष 2010 से वर्ष-वार निगमों द्वारा कुल कितना धर्मार्थ दान दिया गया;

(ग) क्या सरकार को इस नियम के तहत कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्यकलापों की जानकारी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में पंजीकृत सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क) से (घ):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान 01.04.2014 से प्रभावी हुए हैं। अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियां लागू करने के लिए वर्ष 2014-15 पहला वर्ष था। इस अधिनियम की धारा 134(3)(ओ) के साथ पठित धारा 135(4) के अनुसार अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पात्र कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी वार्षिक जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा मंत्रालय में अभी अपनी वार्षिक रिपोर्टें फाइल की जा रही हैं। जिन कंपनियों ने वर्ष 2014-15 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है उनकी संख्या, किए गए सीएसआर कार्यकलापों और उन पर किए गए व्यय से संबंधित ब्यौरे कंपनियों द्वारा अपेक्षित फाइलिंग करने के लिए बाद उपलब्ध होने की आशा है।

\*\*\*\*\*